

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर-वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र

कॉरीडोर परियोजना हेतु अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.343 निर्माण के लिये वनभूमि व्यपवर्तन हेतु आवेदित वनभूमि कुल 102.324 हे. बलरामपुर वनमण्डल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वनभूमि के एवज में अवर्गित वनभूमि बलरामपुर वनमण्डल के वनपरिक्षेत्र धमनी के कक्ष क्र. पी.889 में रकबा 134.910 हे., वनपरिक्षेत्र चांदो के कक्ष क्र. पी.3281 में रकबा 60.000 हे. एवं सूरजपुर जिले के अंतर्गत वनमण्डल अंतर्गत वनपरिक्षेत्र रामानुजनगर के राजस्व वनभूमि खसरा नं. 35 में दोगुना 11.274 हे. अर्थात् कुल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रकबा 206.184 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित किया गया है। उक्त कार्य का वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव क्र. FP/CG/ROAD/147299/2021 का पंजीकृत दिनांक 04.12.2021 है एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना भारत सरकार से संबंध होने के कारण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 के आधार पर उक्त प्रस्ताव हेतु मुख्य सचिव छ.ग. शासन के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।



Executive Engineer
P.W.D. National Highway
Division-Ambikapur